LATEST

NEWS

Election

Date : 30th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पंजाब केसरी
THU,30 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 7

एसआईआर-2026 पर जिला कलक्ट्रेट में बैठक, कलेक्टर ने कहा-पारदर्शिता और सहयोग से बनेगी सटीक मतदाता सूची

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में सभी दल निभाएं जिम्मेदार : कलेक्टर

कोटपूतली-बहरोड़, 29 अक्टूबर (आनंद पंडित): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026): में सभी राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रत्येक दल का बूथ लेवल अभिकर्ता सक्रिय रूप से सहयोग करे।

कलेक्टर गोस्वामी बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों को पूरी तरह अद्यतन करना, पात्र मतदाताओं को शामिल करना और मृत या अपात्र नामों को हटाना है। उन्होंने

कोटपूतली: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेती कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी।

बताया कि यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है, पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 में हुआ था। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिनकी दो प्रतियां तैयार होंगी। एक मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी चुनाव कार्यालय में जमा कराई जाएगी। बीएलओ द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलए-2 की नियुक्ति प्रत्येक मतदान केंद्र पर अनिवार्य है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी केवल दावे और आपत्तियों तक सीमित न रहे, बल्कि सम्पूर्ण एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ को सहयोग प्रदान करे।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे और इस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा व निष्पक्षता से पूरा किया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि भ्रामक सूचनाओं या अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर तत्काल निर्वाचन कार्यालय को सूचित करें।

ये भी रहे उपस्थित : बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ईआरओ, एईआरओ एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भाजपा की ओर से नीलम त्रिपाठी, अशोक सुरोलिया एडवोकेट, जबकि कांग्रेस की ओर से भीम सिंह गुर्जर, मुकेश सैनी, सतीश निमोरिया, जीतू नैनावत सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

7 फरवरी, 2026 तक चलेगा एसआईआर कार्यक्रम

कलेक्टर ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। कलेक्टर गोस्वामी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, लोकतंत्र को सशक्त करने का अवसर है। इसलिए हर नागरिक और हर राजनीतिक दल की भागीदारी आवश्यक है।

पंजाब केसरी
THU,30 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

मुख्य चुनाव अधिकारी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

राजस्थान में सर्वाधिक बूथों पर बीएलए नियोजित किए

- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के बारे में दी जानकारी

जयपुर, 29 अक्टूबर(ब्यूरो) : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है इसमें राजस्थान भी शामिल हैं। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बूथ लेवल एजेंट के नियोजन की कार्यवाही बहुत पहले से ही प्रारंभ होने के कारण फेज-2 के सभी राज्यों में से राजस्थान में सर्वाधिक बूथों पर बीएलए नियोजित किए जा चुके हैं।

70 प्रतिशत की हो चुकी मैपिंग

प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जो निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। महाजन ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 30 Oct 2025 - Page 9

राजनीतिक दल बीएलए की अनिवार्य रूप से नियुक्ति करें: नवीन महाजन

नवज्योति, जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। इस दौरान महाजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

महाजन ने कहा कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बूथ लेवल एजेंट के नियोजन की कार्रवाई बहुत पहले से ही शुरू होने के कारण फेज-2 के सभी राज्यों में से राजस्थान में सर्वाधिक बूथों पर बीएलए नियोजित किए जा चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अनिवार्य रूप से शेष रहे बूथों पर भी अपने बीएलए नियुक्त कर दें। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। एसआईआर के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भराना होगा। एन्यूमेरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति गलत घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। बैठक के दौरान कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एवं आरएलपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर

जयपुर 30-10-2025

सिटी एंकर

जयपुर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा घर-घर सत्यापन

SIR; 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन होगा, 2002 की सूची में नाम तो दस्तावेज जरूरी नहीं

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

जयपुर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जनवरी 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज कुल 48,24,379 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इनमें शहरी क्षेत्र में 23,29,644 और ग्रामीण क्षेत्र में 24,93,735 मतदाता शामिल हैं। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा तय टाइम टेबल के अनुसार चरणबद्ध रूप से संचालित होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को आधुनिक बनाना, त्रुटियों को सुधारना, मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है। प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिनका नाम पहले से दर्ज है, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और उन्हें कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ अपनी मर्जी से किसी का नाम नहीं हटा सकेगा।

- **चरणबद्ध कार्यक्रम; फार्म प्रिंटिंग व बीएलओ प्रशिक्षण:** 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक
- **घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन:** 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक
- **दावे और आपत्तियों का निस्तारण:** 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
- **अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन:** 7 फरवरी 2026 को

पहचान के लिए मान्य 12 दस्तावेज; आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी या पीएसयू आईडी, पेंशन भुगतान आदेश, वन अधिकार पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और नागरिक रजिस्टर आदि दिखाए जा सकते हैं।

ये सवाल उठ रहे: विदेश या प्रदेश से बाहर रहने वाले मतदाताओं का सत्यापन कैसे होगा, जिनके नाम सूची में नहीं हैं उन्हें नाम जुड़वाना पड़ेगा या नहीं और दो जगह नाम होने की स्थिति में कार्रवाई का क्या प्रावधान है। इनके समाधान के लिए निर्वाचन कार्यालय ने सीधे संपर्क करने की अपील की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक ली

भरतपुर (निस)। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीग, उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत समिति सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियान की सफलता सुनिश्चित करने, शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में सभी हितधारकों का सहयोग प्राप्त करना था।

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्सव कौशल ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अभियान की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बीएलए 2 सूची उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। नागरिकों को यह प्रपत्र भरकर वापस संबंधित बीएलओ को जमा कराना होगा। कौशल ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र में सही जानकारी भरते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले से बाहर रह रहे नागरिक इस अभियान में ऑनलाइन माध्यम से भी सम्मिलित हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नागरिक अपने बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सहायता के लिए स्थापित हेल्प डेस्क से भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने सभी से एसआईआर अभियान में बीएलओ का पूर्ण सहयोग करने की अपील की अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक प्रिंटिंग एवं ट्रेनिंग चरण से होगी। इसके बाद, 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक श्हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेजश् (घर-घर गणना) चलाया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूचियों (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स) का प्रकाशन

भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी, डीग, उत्सव कौशल की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों को लेकर बैठक आयोजित हुई।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा

टोंक। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, इस कार्यक्रम के तहत जिले के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा सूची से अपात्र अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम हटाना है, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाया जा सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिले में यह अभियान 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर निर्धारित होगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 3 नवम्बर तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य सम्पन्न किये जायेगें। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र देगें तथा मतदाता गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस दिया जायेगा। इस दौरान बीएलओ योग्य नए मतदाताओं से प्रपत्र-6 प्राप्त करेगें जिनका सत्यापन बीएलओ करेगा। वर्तमान में जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाता पंजीकृत है। जिनसें गणना प्रपत्र लिये जायेगें। निर्धारित अवधि में जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा नही कराएं जायेगें, उनके नाम प्रारुप मतदाता सूची में शामिल नही किया जायेगा। मतदाता केन्द्रों का पुर्नगठन 4 दिसम्बर तक एवं कन्ट्रोल टेबल एवं प्रारुप मतदाता सूची तैयार करने का कार्य 5 से 8 दिसम्बर के मध्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जायेगा।

इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। नोटिस जारी करना, सुनवाई एवं निस्तारण का कार्य 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह मतदाता सूची में अपने नाम, पता एवं विवरण की जांच करें और गणना प्रपत्र आवश्यक रुप से बीएलओ को जमा करवांए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

7 जिलों के नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किया

मरु मंच न्यूज

जयपुर/बालोतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी

एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए

श्री महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है। जिससे सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग अथवा लिंकिंग में शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सरलता से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

श्री महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए (BLA) की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाए, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

श्री महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए।

उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहूलियत रहे साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया।

बैठक • विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी से पूर्ण करें: यादव

भास्कर न्यूज | बालोतरा

शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य योग्य मतदाता छूटे नहीं, अपात्र व्यक्ति जुड़े नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं के 2 प्रति में गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि जो मतदाता पूर्व एसआईआर जो राजस्थान में 2002 में हुआ था, उस मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के स्वयं या उनके माता/पिता दोनों में से कोई एक या दादा/दादी का नाम है, तो उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने व अपात्र को जांच करके हटाने के लिए की जा रही है। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए टीमवर्क के रूप में कार्य कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य पर विशेष फोकस रखकर पूर्ण करावें। उन्होंने निर्देशित किया कि वॉलंटियर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का गहन प्रशिक्षण कराकर एसआईआर गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा हेल्पडेस्क पर किए जा रहे कार्य की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

बालोतरा . गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक लेते कलेक्टर।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक गणन पत्रों को ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बुक-ए-कॉल पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी लंबित ना रहे। उन्होंने समस्त ईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को पाबंद करें कि वे फील्ड में अपना परिचय कार्ड साथ रखें। साथ ही कोई भी वोटर मैपिंग से वंचित ना रहे, सुनिश्चित करें। इस दौरान समस्त निर्वाचक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर
कोटपूतली-बहरोड़ भास्कर 30-10-2025

एसआईआर में राजनीतिक दलों का हो समुचित सहयोग : निर्वाचन अधिकारी

भास्कर न्यूज | कोटपूतली

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 (SIR) के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होगी। सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं (BLA) के माध्यम से बीएलओ को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि मतदाता सूची अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके। कलक्टर ने बताया कि BLA-1 द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर BLA-2 की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। BLA-2 का कार्य केवल दावे-आपत्तियों तक सीमित न रहकर पूरी एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की सहायता करना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को देशभर में इस कार्यक्रम की घोषणा की है, जो राजस्थान में 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम प्रदेश में 23 साल बाद पुनः आयोजित हो रहा है, जिसमें वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। एसआईआर का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। एक प्रति मतदाता को रसीद के रूप में दी जाएगी जबकि दूसरी प्रति ऑनलाइन दर्ज कर चुनाव कार्यालय में जमा होगी। मतदाता चाहें तो यह फॉर्म निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर स्वयं भी ऑनलाइन भर सकते हैं।

कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और प्रपत्र मुद्रण, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे का कार्य होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचें तथा किसी भी शंका की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण, विभिन्न ईआरओ, एईआरओ तथा भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कोटपूतली। बैठक में मौजूद अधिकारी व राजनीतिक दलों के सदस्य।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

जयपुरए/श्रीगंगानगर, 29 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को ब?ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीएलए की अनिवार्य रूप से करें नियुक्ति : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के बारे में दी गई जानकारी

मरू मंच न्यूज

जयपुर/बालोतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है इसमें राजस्थान भी शामिल हैं। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बूथ लेवल एजेंट के नियोजन की कार्यवाही बहुत पहले से ही प्रारंभ होने के कारण फेज-2 के सभी राज्यों में से राजस्थान में सर्वाधिक बूथों पर बीएलए नियोजित किए जा चुके हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह किया है कि वे अनिवार्य रूप से शेष रहे बूथों पर भी अपने बीएलए नियुक्त कर दें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान election.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। राजस्थान में अब तक 70त्न मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जो निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

श्री महाजन ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी एवं त्रुटिरहित पूर्ण करावे - जिला कलक्टर

मरू मंच न्यूज

बालोतरा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य योग्य मतदाता छूटे नही, अपात्र व्यक्ति जुड़े नही है। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने बताया कि 04 नवंबर से 04 दिसंबर के मध्य सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं के 02 प्रति में गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग करेगें। उन्होने बताया कि जो मतदाता पूर्व एसआईआर जो राजस्थान में 2002 में हुआ था, उस मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के स्वयं या उनके माता/पिता दोनों में से कोई एक या दादा/दादी का नाम है, तो उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने व अपात्र को जांच करके हटाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता स्वयं अपना गणना प्रपत्र HTTP:/ VOTERS.ECI.GOV.IN/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकता है। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए टीमवर्क के रूप में कार्य कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य पर विशेष फोकस रखकर पूर्ण करावे। उन्होंने निर्देशित किया कि वॉलेंटियर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का गहन प्रशिक्षण कराकर एसआईआर गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा हेल्पडेस्क पर किए जा रहे कार्य की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिक से अधिक गणन पत्रों को ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बुक-ए-कॉल पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी लंबित ना रहे। उन्होने समस्त ईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को पाबंद करें कि वे फील्ड में अपना परिचय कार्ड साथ रखें। साथ ही कोई भी वोटर मैपिंग से वंचित ना रहे, सुनिश्चित करें। इस दौरान समस्त निर्वाचक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए

मरूधर विशेष

कोटपूतली-बहरोड़, । जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 (एसआईआर) को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

BLA-2 (बूथ लेवल अभिकर्ता-2) की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के

BLA-v द्वारा BLA-w की नियुक्ति अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। BLA-w का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण सर प्रक्रिया में BLO का सहयोग करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। राज्य में 28.10.2025 से कार्यक्रम आरंभ हो चुका है यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अतः उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मिलित न हो सके ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनें। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुए भरवाया जायेगा। एक प्रति पर्ची रसीद मतदाता को दी जायेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र ईसीआई द्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रान्तियों एवं समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने

कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहें।

भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों व खबरों से ध्यान न दें तथा इस प्रकार की अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएगी।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में बीजेपी से नीलम त्रिपाठी जिला मंत्री अलवर उत्तर, अशोक सुरेलिया एडवोकेट जिला कार्यालय प्रभारी, कांग्रेस से भीम सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर, मुकेश सैनी मंडल अध्यक्ष बानसूर, सतीश निमोरिया नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजित यादव, विकास शेखावत, विकास यादव, अन्य मौजूद रहे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

7 फरवरी तक चलेगा एस आई आर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज होगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एसआईआर क्या है- मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ- जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा, तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड होगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा, मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य योग्य मतदाता छूटे नही, अपात्र व्यक्ति जुड़े नही है। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा।9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने बताया कि 04 नवंबर से 04 दिसंबर के मध्य सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं के 02 प्रति में गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग करेगें। उन्होने बताया कि जो मतदाता पूर्व एसआईआर जो राजस्थान में 2002 में हुआ था, उस मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के स्वयं या उनके माता/पिता दोनों में से कोई एक या दादा/दादी का नाम है, तो उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने व अपात्र को जांच करके हटाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता स्वयं अपना गणना प्रपत्र HTTP:/ VOTERS.ECI.GOV.IN/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकता है। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए टीमवर्क के रूप में कार्य कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य पर विशेष फोकस रखकर पूर्ण करावे। उन्होंने निर्देशित किया कि वॉलंटियर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का गहन प्रशिक्षण कराकर एसआईआर गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा हेल्पडेस्क पर किए जा रहे कार्य की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिक से अधिक गणन पत्रों को ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बुक-ए-कॉल पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी लंबित ना रहे। उन्होने समस्त ईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को पाबंद करें कि वे फील्ड में अपना परिचय कार्ड साथ रखें। साथ ही कोई भी वोटर मैपिंग से वंचित ना रहे, सुनिश्चित करें। इस दौरान समस्त निर्वाचक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित

'मतदाता सूची में अपात्र का नाम नहीं जुड़े और पात्र व्यक्ति नहीं छूटे'

पत्रिका
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बालोतरा में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर।

बालोतरा. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने न पाए।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, गणना प्रपत्रों का मुद्रण, घर-घर वितरण व संग्रहण, ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन, दावे-आपत्तियां, सुनवाई व सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।कलेक्टर ने कहा कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के प्रपत्र भरवाने में सहयोग करें। जिन मतदाताओं का नाम पूर्व में (2002 की एसआईआर सूची) या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम सूची में हैं, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य प्राथमिकता से पूरा हो। वॉलंटियर्स और हेल्पडेस्क कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देकर गाइडलाइन की जानकारी दी जाए। कार्यों की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए और अधिक से अधिक प्रपत्र ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बुक-ए-कॉल पर कोई पेंडेंसी लंबित न रहे। सभी ईआरओ यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ फील्ड में अपना परिचय पत्र साथ रखें। कोई भी मतदाता मैपिंग से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

» 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

जयपुर/श्रीगंगानगर/सीमा किरण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओए वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण : श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी : एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्यव रखते हुए कार्य करें।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह »» शेष @ 7 पर

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को त्रुटिरहित पूर्ण कराएं: जिला कलक्टर

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

नवज्योति/बालोतरा।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य योग्य मतदाता छूटे नहीं, अपात्र व्यक्ति जुड़े नही है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि 04 नवंबर से 04 दिसंबर के मध्य सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं के 02 प्रति में गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग करेगें। उन्होने बताया कि जो मतदाता पूर्व एसआईआर जो राजस्थान में 2002 में हुआ था, उस मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के स्वयं या उनके माता/पिता दोनों में से कोई एक या दादा/दादी का नाम है, तो उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

दैनिक भास्कर
झुंझुनू भास्कर 30-10-2025

जिले में एसआईआर प्रक्रिया सात फरवरी तक, 1741 बीएलओ घर-घर जाकर 4 दिसंबर तक बांटेंगे प्रपत्र

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं

निर्वाचन विभाग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, स्थानांतरण, संशोधन एवं विलोपन हेतु यह अभियान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। जिले में 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। जिसमें 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र का मुद्रण होगा। जिले में 1741 बीएलओ को 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण व संग्रहण करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। डॉ. गर्ग ने बताया कि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा व आपत्ति ली जाएगी। साथ ही 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस की सुनवाई व सत्यापन होगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए। जिससे कोई मतदाता वंचित नहीं रहे।

झुंझुनूं. एसआईआर के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते कलेक्टर।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार आर्य ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मोबाइल से ऑनलाइन रूप में किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार मोनिका चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक

बीएलओ चार से घर-घर बांटेंगे गणना प्रपत्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

झुंझुनूं में आयोजित बैठक में निर्देश देते अधिकारी।

झुंझुनूं. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, स्थानांतरण, संशोधन एवं विलोपन के लिए यह अभियान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन कार्य सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार आर्य ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन मोनिका चौधरी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

महत्वपूर्ण तारीख

4 नवम्बर: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 3 नवम्बर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। जिले में 1741 बीएलओ 4 नवम्बंर से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य करेंगे।

9 दिसम्बर: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा।

7 फरवरी: 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक

राजनीतिक दल एसआईआर में सक्रियता से कार्य करें: जिला निर्वाचन अधिकारी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, करौली। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं प्रेसवार्ता भी आयोजित की गई। जिसमें चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिये चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें जिले में चार नवम्बर से बीएलओ घर.घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा चुनाव आयोग के मापदण्डों के अनुसार मतदाताओं के लिये गणना प्रपत्र तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जायेगा जिसमें मतदाता अपने या रिश्तेदारों के नाम के साथ मिलान करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता विगत एसआईआर के अखिल भारतीय डाटाबेस का भी उपयोग कर सकते हैं इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की बेवसाइट पर उपलब्ध

है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नये मतदाता को शामिल करने के लिये फार्म.6 भरा जायेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जायेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता विशेषरूप से शहरी मतदाताए अस्थाई प्रवासीए ईएफऑनलाईन भी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मृतए स्थाई रूप से स्थान्तरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ईएफके अलावा गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि बीएलओ के साथ राजनैतिक दलों के बीएलए प्रत्येक बूथ पर आम मतदाताओं को इस अभियान के बारे में जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जागरूक भी करें। उन्होंने बताया कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो तथा उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो मतदाता सूची में नाम जुडाऐं ये हम सबका कर्तव्य है। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर हेमराज परिडवाल ने अभियान के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि पुष्पेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र भारद्वाज, सुरेश शुक्ला, दौलत सिंह जाटव, योगेश कुमार शर्मा, अजय पाल सहित मीडियाकर्मी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

तैयारी बैठक • कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, राजनीतिक दलों व मीडिया के साथ बैठक

बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे

कार्यालय संवाददाता | करौली

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक के साथ प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें जिले में चार नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। चुनाव आयोग के मापदंडों के अनुसार मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ की ओर से मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जाएगा। इसमें मतदाता अपने या रिश्तेदारों के नाम के साथ मिलान करने में मदद करेंगे। मतदाता विगत एसआईआर के अखिल भारतीय डाटाबेस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की बेवसाइट http://election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नए मतदाता को शामिल करने के लिए फार्म-6 भरा जाएगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे। इस दौरान मतदाता विशेषरूप से शहरी मतदाता, अस्थाई प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मृत, स्थाई रूप से स्थान्तरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। ईएफ के अलावा गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिले में 1054 मतदान केन्द्र, 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र पुनर्गठन के उपरान्त कुल मतदान केन्द्र 1274, जिले में नवसृजित मतदान केन्द्र 220, वर्तमान में बूथ पर औसतन निर्वाचक 1083, पुनर्गठन उपरान्त प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक 896, वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी 1054, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी 4 और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी 13 कार्यरत है।

करौली| कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

राजनीतिक दल करें सक्रिय सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी सक्रियता से सहयोग करें। उन्होंने बताया कि बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के बीएलए प्रत्येक बूथ पर आम मतदाताओं को इस अभियान के बारे में जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जागरूक भी करें। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो व उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं ये हम सबका कर्तव्य है। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर हेमराज परिड़वाल ने अभियान के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि पुष्पेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र भारद्वाज, सुरेश शुक्ला, दौलत सिंह जाटव, योगेश कुमार शर्मा, अजय पाल सहित मीडियाकर्मी आदि उपस्थित थे।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

4 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

करौली. बैठक में उपस्थित कलक्टर सहित अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।

करौली. मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जिले में चार नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा चुनाव आयोग के मापदण्डों के अनुसार मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जाएगा, जिसमें मतदाता अपने या रिश्तेदारों के नाम के साथ मिलान करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता विगत एसआईआर के अखिल भारतीय डाटाबेस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए मतदाता को शामिल करने के लिए फार्म-6 भरा जाएगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे।

मतदाता विशेष रूप से शहरी मतदाता, अस्थाई प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मृत, स्थाई रूप से स्थानान्तरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जाएगी।

ईएफ के अलावा गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में 1054 मतदान केन्द्र, 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र पुनर्गठन के उपरान्त कुल मतदान केन्द्र 1274, जिले में नवसृजित मतदान केन्द्र 220, वर्तमान में बूथ पर औसतन निर्वाचक 1083, पुनर्गठन उपरान्त प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक 896, वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी 1054, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी 4 एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी 13 कार्यरत हैं।

राजनीतिक दल करें सक्रिय सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के बीएलए प्रत्येक बूथ पर आम मतदाताओं को इस अभियान के बारे में जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जागरूक भी करें। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो तथा उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर हेमराज परिडवाल ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पुष्पेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र भारद्वाज, सुरेश शुक्ला, दौलत सिंह जाटव, योगेश कुमार शर्मा, अजय पाल सहित मीडियाकर्मी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पत्रिका

राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित

सलूम्बर@पत्रिका. जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलक्टर ने मंगलवार शाम जिला कलक्ट्रेट कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की जा सकें। जिला कलक्टर मीना

ने जिले में मतदाताओं, एसआईआर कार्यक्रम, मतदान केन्द्रों, बीएलएओ नियुक्ति, प्रथम व द्वितीय अपील, ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना व आवश्यक दस्तावेज सहित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, फिरोज अली, अमोल अहारी , राजीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य मौजूद रहे।

30/10/2025 | Udaipur Zila | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर

उदयपुर जिला 30-10-2025

जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों की बैठक, विशेष गहन पुनरीक्षण की दी जानकारी

सलूंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवधेश मीना ने मंगलवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2025 कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की जानकारी साझा करते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीना ने कहा कि एसआईआर इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का अद्यतन, नई प्रविष्टियों का समावेश तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही यह भी कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है, जिससे सूची को और अधिक सटीक बनाया जा सके।

कलेक्टर ने राजनीतिक दलों से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक या झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा ऐसी कोई जानकारी आने पर तत्काल संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचित करने के लिए कहा।

7 फरवरी तक चलेगा एसआईआर कार्यक्रम : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इन्यूमरेशन (गणना) अवधि रहेगी। इसी दौरान मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन, री-अरेंजमेंट भी होगा। 5 से 8 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल अपडेशन एवं ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण चलेगा तथा दावों का निस्तारण किया जाएगा। 3 फरवरी तक सूचियों की स्पष्टता जांच होगी, जबकि 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। बैठक में फिरोज अली, अमोल आहारी, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी राजनीतिक दलों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकें।

दैनिक भास्कर

उदयपुर जिला 30-10-2025

सात फरवरी तक चलेगा एसआईआर

भास्कर न्यूज | सलूंबर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है जो कि 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश चंद्र पाटीदार, उपखंड अधिकारी जगदीश चन्द्र बामनिया सहित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

एसआईआर के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों के मुद्रण का कार्य संपन्न होगा। दिनांक 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य किया जाएगा। दिनांक 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण रहेगा, जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जाएगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में एसआईआर के अंतर्गत गतिविधियों का कैलेंडर, स्वीकृत ईएफ-पुराने और नए की तुलना, ईएफ का समय पर मुद्रण और वितरण, पीएस युक्तिकरण, मतदाताओं का मानचित्रण, बीएलओ परामर्श, मीडिया ब्रीफिंग और मुद्दे, ऑनलाइन सबमिशन को अधिकतम करने की रणनीति, आईटी हेल्पडेस्क, बीएलओ, बीएलए, हेल्पडेस्क स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, बीएलए नियुक्ति, ओआईसी द्वारा प्रभागवार बैठक आदि बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए।

सलूम्बर. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े अधिकारी।

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा एसआईआर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

राजस्थान धड़कन न्यूज़। जयसमंद। सलूंबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है जो कि 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश चंद्र पाटीदार, उपखंड अधिकारी जगदीश चन्द्र बामनिया सहित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। एसआईआर के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों के मुद्रण का कार्य संपन्न होगा। दिनांक 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य किया जाएगा। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। दिनांक 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जाएँगी। दिनांक 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा, जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकर अधिकारी द्वारा सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जाएगा। दिनांक 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में एसआईआर के अंतर्गत गतिविधियों का कैलेंडर, स्वीकृत ईएफ-पुराने और नए की तुलना, ईएफ का समय पर मुद्रण और वितरण, पीएस युक्तिकरण, मतदाताओं का मानचित्रण, बीएलओ परामर्श (बीएलओ के लिए क्या करें और क्या न करें), मीडिया ब्रीफिंग और मुद्दे, ऑनलाइन सबमिशन को अधिकतम करने की रणनीति, आईटी हेल्पडेस्क, बीएलओ, बीएलए, हेल्पडेस्क स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, बीएलए नियुक्ति, ओआईसी द्वारा प्रभागवार बैठक आदि बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।

दैनिक नवज्योति AasPaas - 30 Oct 2025 - Page 8

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की

नवज्योति/सलूंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की जटिलताओं पर प्रकाश डाला और सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। मीना ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारियों का योगदान इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रतिनिधियों से गलत सूचनाओं और अफवाहों से दूर रहने और कार्यक्रम के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने का आग्रह किया। कलक्टर ने साझा किया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नए मतदाताओं का समावेश,

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का निष्काषन और डाटाबेस अपडेटिंग शामिल है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सक्रिय रूप से इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनने और उनकी मतदाता सूचियाँ त्रुटि-मुक्त बनाने में मदद करने की अपील की। इस कार्यक्रम के तहत, 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फ़रवरी तक विभिन्न चरणों में व्यापक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी, जिसमें प्रिंटिंग, प्रशिक्षण, इनुमेरेशन और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन शामिल हैं।

मतदाता सूची का प्रारूप 9 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा

नवज्योति/सलूंबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है और यह 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। बैठक में प्रशिक्षण, मुद्रण और पुनरीक्षण संबंधित रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची का प्रारूप 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा और निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश चंद्र पाटीदार, उपखंड अधिकारी जगदीश चन्द्र बामनिया सहित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

- 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

- 7 जिलों के नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किया

जनगण न्यूज

जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी

एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये

लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70न मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए

महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाए, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (ष्ठश्वह्व) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए।

उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला

जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने राजनैतिक दलों व मीडीयाकर्मियो को दी जानकारी 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

सत्य आपके सामने

जितेंद्र परसवानी / पाली । विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों व मीडियाकर्मियो के साथ बैठक आयोजित कर जानकारी दी गयी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मंत्री ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 03 नवम्बर तक होगा। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिणगना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 9 दिसम्बर, दावे व

आपत्तियों की अवधि 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पाली में कुल 1337 मतदान केन्द्र, 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान के पुनगर्ठन उपरांत कुल मतदान केन्द्र 1631, नवसृजित मतदान केन्द्र 234, वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक 928, वर्तमान बूथ लेवल अधिकारी 1397, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 5 एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 24 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईआरओ या एईआरओ प्रत्येक मतदान के लिए गणना प्रपत्र मुद्रित कर बीएलओ द्वारा प्रत्येक मौजूदा मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य करेंगे तथा मतदाता को आपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम के साथ मिलान/लिंक करने में मदद करेंगे जो कि 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंगसिंह, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, कांग्रेस व भाजपा के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन शाखा के सुरेन्द्र जैन व संदीप दवे एवं मीडियाकर्मी आदि मौजूद रहे।

सम्पादक : गौतमचन्द जैन- 22 राजीव गांधी कालोनी, पाली मारवाड़। प्रभात। पृष्ठ 6, मूल्य : 2.00 रुपए। e.mail : mmarudehar@gmail.com

जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने राजनैतिक दलों व मीडीयाकर्मियो को दी जानकारी 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

मरू लहर न्यूज

पाली। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों व मीडियाकर्मियो के साथ बैठक आयोजित कर जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मंत्री ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 03 नवम्बर तक होगा। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिणगना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा।

मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 9 दिसम्बर, दावे व आपत्तियों की अवधि 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पाली में कुल 1337 मतदान केन्द्र, 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान के पुनगर्ठन उपरांत कुल मतदान केन्द्र 1631, नवसृजित मतदान केन्द्र 234, वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक 928, वर्तमान बूथ लेवल अधिकारी 1397, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 5 एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 24 है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईआरओ या एईआरओ प्रत्येक मतदान के लिए गणना प्रपत्र मुद्रित कर बीएलओ द्वारा प्रत्येक मौजूदा मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य करेंगे तथा मतदाता को आपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम के साथ मिलान/लिंक करने में मदद करेंगे जो कि 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे।

उन्होंने बताया कि नए मतदाता को शामिल करने के लिए फार्म 6 और घोषणा पत्र प्राप्त करें और मिलान व लिंकिंग में सहायता करेंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाएंगे व बीएलओ को ईएफ के अलावा, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई अन्य दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

साथ ही ईआरओ या एईआरओ मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए उनके सभी के नाम ड्राँफ्ट रोल में शामिल करेंगे तथा उन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी करें जिनके नाम विगत एसआईआर से मेल नहीं खा पाए या लिंक नहीं हो पाए हैं ऐसे मामलों की सुनवाई कर अंतिम रोल में उनके नाम शामिल करने या निकालने पर निर्णय लेंगे।

उन्होंने बताया कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो पाए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंगसिंह, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, कांग्रेस व भाजपा के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन शाखा के सुरेन्द्र जैन व संदीप दवे एवं मीडियाकर्मी आदि मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

7 जिलों के नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किया

सत्य आपके सामने

जयपुर। 29 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने की जानकारी दी

तारानगर | मां जालपा देवी राजकीय कॉलेज में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता एसडीएम राजेंद्र कुमार ने की। प्रभारी भागचंद किरोड़ीवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण में बीएलए व बीएलओ को निर्वाचन कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर तहसीलदार हड़मानसिंह, ओमप्रकाश, सुनील कुमार, मनोज स्वामी, मदनलाल स्वामी आदि उपस्थित थे।

एसआईआर को लेकर कलेक्टर सुराणा ने बैठक ली, निर्देश दिए

एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से करें, लापरवाही न बरतें : सुराणा

भास्कर संवाददाता | चूरू

आपणी योजना कार्यालय के एनआईसी वीसी सभागार में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी ईआरओ बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग करें तथा निर्वाचन से जुड़ी मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना की जाए। निर्वाचन गतिविधियों में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता का सत्यापन करें। नियमित प्रगति के लिए समीक्षा बैठक करें।

चूरू. एसआईआर की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी।

उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सामग्री प्रसारित होने पर फैक्ट चेक करवाने तथा त्वरित संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक करने, बीएलओ व बीएलए के प्रशिक्षण, परिगणना प्रपत्र छपाई, वितरण व संग्रहण सहित एसआईआर से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम अर्पिता सोनी, एसीईओ दुर्गा ढाका, सुजानगढ़ एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, रतनगढ़ एसडीएम मिथिलेश, सरदारशहर एसडीएम रामकुमार वर्मा, तारानगर एसडीएम राजेंद्र कुमार, राजगढ़ एसडीएम मनोज कुमार, चूरू एसडीएम सुनील कुमार, एसीपी नरेश टुहानिया आदि उपस्थित थे।

मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें : सुराणा

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की ली बैठक, दिए निर्देश

हमारा गगन

चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने बुधवार को आपणी योजना कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी सभागार में एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सभी ईआरओ बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की समुचित मॉनीटरिंग करें तथा निर्वाचन से जुड़ी मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए। निर्वाचन गतिविधियों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता का सत्यापन सुनिश्चित करें। इसी के साथ नियमित प्रगति के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा मशीनरी को प्रबंधित करें। उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सामग्री प्रसारित होने पर फैक्ट चेक करवाने और त्वरित संज्ञान में लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक करने, बीएलओ व बीएलए के प्रशिक्षण, परिगणना प्रपत्र छपाई, वितरण व संग्रहण, मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने, बीएलओ गतिविधियों सहित एसआईआर से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी, एसीईओ दुर्गा ढाका, सुजानगढ़ एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, रतनगढ़ एसडीएम मिथिलेश, सरदारशहर एसडीएम रामकुमार वर्मा, तारानगर एसडीएम राजेंद्र कुमार, राजगढ़ एसडीएम मनोज कुमार, चूरू एसडीएम सुनील कुमार, एसीपी नरेश दुहानिया सहित अन्य मौजूद रहे।

मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें : सुराणा

चूरू (हुक्मनामा समाचार)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने बुधवार को आपणी योजना कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी सभागार में एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ईआरओ बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की समुचित मॉनीटरिंग करें तथा निर्वाचन से जुड़ी मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की अक्षरश: पालना की जाए। निर्वाचन गतिविधियों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर—घर जाकर मतदाता का सत्यापन सुनिश्चित करें। इसी के साथ नियमित प्रगति के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा मशीनरी को प्रबंधित करें। उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सामग्री प्रसारित होने पर फैक्ट चेक करवाने और त्वरित संज्ञान में लाने के निर्देश दिए।

मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें : सुराणा

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की ली बैठक, दिए निर्देश

चूरू, (विराट वैभव)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने बुधवार को आपणी योजना कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी सभागार में एसआईआर को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ईआरओ बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की समुचित मॉनीटरिंग करें तथा निर्वाचन से जुड़ी मशीनरी को बेहतरीन प्रबंधित करते हुए एसआईआर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संपादित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए। निर्वाचन गतिविधियों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर–घर जाकर मतदाता का सत्यापन सुनिश्चित करें। इसी के साथ नियमित प्रगति के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा मशीनरी को प्रबंधित करें। उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भ्रामक सामग्री प्रसारित होने पर फैक्ट चेक करवाने और त्वरित संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक करने, बीएलओ व बीएलए के प्रशिक्षण, परिगणना प्रपत्र छपाई, वितरण व संग्रहण, मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने, बीएलओ गतिविधियों सहित एसआईआर से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी, एसीईओ दुर्गा ढाका, सुजानगढ़ एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, रतनगढ़ एसडीएम मिथिलेश, सरदारशहर एसडीएम रामकुमार वर्मा, तारानगर एसडीएम राजेंद्र कुमार, राजगढ़ एसडीएम मनोज कुमार, चूरू एसडीएम सुनील कुमार, एसीपी नरेश टुहानिया सहित अन्य मौजूद रहे।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीएलए की अनिवार्य रूप से करें नियुक्तिः मुख्य निर्वाचन अधिकारी : नवीन महाजन

■ दैनिक जलतेदीप, जयपुर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है इसमें राजस्थान भी शामिल हैं। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बूथ लेवल एजेंट के नियोजन की कार्यवाही बहुत पहले से ही प्रारंभ होने के कारण फेज-2 के सभी राज्यों में से राजस्थान में सर्वाधिक बूथों पर बीएलए नियोजित किए जा चुके हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह किया है कि वे अनिवार्य रूप से शेष रहे बूथों पर भी अपने बीएलए नियुक्त कर दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट 1श्व्ह्न्द्रह्म्.द्गष्द्ब.द्द्श1.द्बठ्ठ पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान election. rajasthan. gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जो निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है।

बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महाजन ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए।

दैनिक भास्कर
नागौर भास्कर 30-10-2025

एसआरआईआर में राजनीतिक दलों का हो सहयोग

कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक

भास्कर न्यूज | नागौर

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने कहा है कि एसआरआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों का सहयोग बेहद जरूरी है, ताकि मतदाता सूची को और पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2025 को लेकर बैठक ली। इस दौरान निर्वाचन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई और दिशा-निर्देश साझा किए गए। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मतदाता सूची से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी, जिसमें बूथ लेवल अफसरों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके बाद 4 दिसंबर तक मतदाता सूची का रेफरेंस ड्राफ्ट तैयार होगा।

नागौर. कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करते कलेक्टर पुरोहित।

दैनिक नवज्योति Nagaur - 30 Oct 2025 - Page 9

एसआइआर कार्यक्रम में समुचित सहयोग पर जोर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 को लेकर चर्चा

न्यूज सर्विस/नवज्योति, नागौर

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) को लेकर चर्चा की। इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए तथा मीडिया से संवाद किया। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सके।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को रिफ्रेश करने, नये नामों को शामिल करने तथा गलत नामों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में सहयोग करें और पात्र लोगों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। उन्होंने एसआईआर कार्यक्रम, मतदान केन्द्रों, बीएल, नियुक्ति, प्रथम व द्वितीय अपील, ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना व आवश्यक दस्तावेज सहित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी चम्पालाल जीनगर सहित समस्त एआरओ भाजपा के पदम सारस्वत, रमेश अपूर्वा व बंजरग शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस मोतीलाल चन्देल व हनुमान बागंडा मौजूद रहे।

नागौर। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी।

ये रहेगा एसआईआर का कार्यक्रम

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के अनुसार 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर कार्यक्रम चलेगा। जिले में 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इन्युमेरेशन पीरियड रहेगा और 9 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां किए जा सकेंगे। इसी प्रकार 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज चलेगा। जिसमें इन्युमेरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 3 फरवरी 2026 तक मतदाता सूचियों की स्पष्टता की जांच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

यह हैं जिले में मतदाताओं की स्थिति

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नागौर जिले में वर्तमान में 14 लाख 15 हजार 73 मतदाता हैं। जिनमें से 7 लाख 29 हजार 71 पुरुष व 6 लाख 85 हजार 997 महिला मतदाता एवं 5 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। जिले के जायल विधानसभा क्षेत्र में 139606 पुरुष व 132270 महिला मतदाता सहित कुल 271876 मतदाता, नागौर विधानसभा क्षेत्र में 145795 पुरुष, 137151 महिला व 04 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 282950 मतदाता, खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 152082 पुरुष, 139965 महिला मतदाता सहित कुल 292047 मतदाता, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 151510 पुरुष, 143179 महिला व 01 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 294690 मतदाता व डेगाना विधानसभा क्षेत्र में 140078 पुरुष, 133432 महिला मतदाता सहित कुल 273510 मतदाता पंजीकृत हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा, 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

अनूपगढ़ ज्योति

जयपुर/श्रीगंगानगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओए वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण : महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है

उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी : एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए : महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है। जिससे सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग अथवा लिंकिंग में शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सरलता से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता : महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएए जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयोंए महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए। उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहूलियत रहे साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया।

दैनिक भास्कर

टोंक 30-10-2025

4 नवंबर से बीएलओ वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे

टोंक| भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत टोंक जिले के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा सूची से अपात्र अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम हटाना है, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाया जा सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिले में यह अभियान 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

अभियान के दौरान 3 नवम्बर तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य सम्पन्न किये जाएंगे। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र देंगे तथा मतदाता गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस दिया जाएगा। इस दौरान बीएलओ योग्य नए मतदाताओं से प्रपत्र-6 प्राप्त करेंगें जिनका सत्यापन बीएलओ करेगा। वर्तमान में जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाता पंजीकृत है। जिनसे गणना प्रपत्र लिये जाएंगे। निर्धारित अवधि में जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा नही कराएं जाएंगे, उनके नाम प्रारुप मतदाता सूची में शामिल नही किया जाएगा। मतदाता केन्द्रों का पुनर्गठन 4 दिसम्बर तक एवं कन्ट्रोल टेबल एवं प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने का कार्य 5 से 8 दिसम्बर के मध्य होगा। प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। नोटिस जारी करना, सुनवाई एवं निस्तारण का कार्य 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीतिक दलों की बैठक

भीलवाड़ा @पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जसमींत सिंह संधू ने कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 28 अक्टूबर से विभिन्न चरणों में संचालित हो रहा है तथा अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। कलक्टर ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, संशोधन व विलोपन की प्रक्रिया करेंगे। किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आप पार्टी के प्रतिनिधियों सहित जिला अधिकारियों ने भाग लिया। इसी क्रम में जिला रजिस्ट्रार सोनल राज कोठारी ने बताया कि मृत्यु पंजीयन के समय मृतक का मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या स्वैच्छिक रूप से एकत्र की जाएगी, जिससे मतदाता सूची अद्यतन और पारदर्शी रह सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर जिला कलेक्टर ने ली बैठक - राजनीतिक दलों को दी विस्तृत जानकारी

किस्मत भीलवाड़ा

भीलवाड़ा, 29 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किये गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों में संचालित होगा, जिसके पश्चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को घर-घर

जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने तथा पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, संशोधन व विलोपन की प्रक्रिया सुचारु रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने प्रजेंटेशन के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समस्त प्रक्रिया, समय-सीमा और मतदाता सूची से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनके दलों के बीएलए - 2 इस कार्यक्रम में स्वयं की भागीदारी निभाते हुए सक्रिय रहे जिससे कि विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से सफल हो। बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर से विभिन्न विषयों पर चर्चा की । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत सिंह उपखंड अधिकारी श्री अक्षत कुमार सिंह, चुनाव शाखा के वरिष्ठ कार्मिक श्री कैलाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से उम्मेद सिंह राठौड़, श्री गोपाल तेली व ईश्वर चेचानी , इंडियन नेशनल कांग्रेस से ईश्वर खोईवाल व मुश्ताक अली, बहुजन समाज पार्टी से किशन लाल कीर व रामेश्वर लाल जाट, आम आदमी पार्टी से प्रहलाद राय व्यास के साथ ही मोहम्मद हामिन व चुनाव शाखा के कार्मिक मौजूद रहे।

बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का करेंगें सत्यापन

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम।

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किये गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों में संचालित होगा, जिसके पश्चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने तथा पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, संशोधन व विलोपन की प्रक्रिया सुचारु रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने प्रजेंटेशन के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समस्त प्रक्रिया, समय-सीमा और मतदाता सूची से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनके दलों के बीएलए – 2 इस कार्यक्रम में स्वयं की भागीदारी निभाते हुए सक्रिय रहे जिससे कि विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से सफल हो। बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर से विभिन्न विषयों पर चर्चा की । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत सिंह उपखंड अधिकारी अक्षत कुमार सिंह, चुनाव शाखा के वरिष्ठ कार्मिक कैलाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से उम्मेद सिंह राठौड़ , गोपाल तेली व ईश्वर चेचानी , इंडियन नेशनल कांग्रेस से ईश्वर खोईवाल व मुश्ताक अली, बहुजन समाज पार्टी से किशन लाल कीर व रामेश्वर लाल जाट, आम आदमी पार्टी से प्रहलाद राय व्यास के साथ ही मोहम्मद हामिन व चुनाव शाखा के कार्मिक मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति Bhilwara - 30 Oct 2025 - Page 11

कलक्टर ने राजनीतिक दलों की ली बैठक, दी पुनरीक्षण कार्यो की जानकारी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भीलवाड़ा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किये गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों में संचालित होगा, जिसके पश्चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने तथा पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, संशोधन व विलोपन की प्रक्रिया सुचारु रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने प्रजेंटेशन के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समस्त प्रक्रिया, समय-सीमा और मतदाता सूची से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत सिंह, उपखंड अधिकारी अक्षत कुमार, चुनाव शाखा के वरिष्ठ कार्मिक कैलाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से उम्मेद सिंह राठौड़, गोपाल तेली व ईश्वर चेचानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ईश्वर खोईवाल व मुश्ताक अली, बहुजन समाज पार्टी से किशन लाल कीर व रामेश्वर लाल जाट, आम आदमी पार्टी से प्रहलाद राय व्यास के साथ ही मोहम्मद हामिन व चुनाव शाखा के कार्मिक मौजूद रहे।

भीलवाड़ा में बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते जिला कलक्टर।

वोटर लिस्ट अपडेट: जिल के 14 लाख से अधिक मतदाताओं की होगी गहन समीक्षा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिकदलोंकेप्रतिनिधियों से मतदाता सूचनी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में साझा की विस्तृत जानकारी व दिशा-निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नागौर. एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक लेते कलक्टर।

नागौर. जिले में चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया 4?नवंबर?2025 से शुरू हो रही हैं। इस दौरान मतदाता सूची का व्यापक स्तर पर अद्यतन किया जाएगा। नई प्रविष्टियां शामिल होंगी और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाया जाएगा। यह कार्यक्रम तीन महीने चलेगा और पूरे जिले के 14 लाख से अधिक मतदाताओं को इस पुनरीक्षण के दायरे में लाया जाएगा। एक तरह से पूरे जिले की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि एसआईआर को लेकर अफवाहें सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचना दें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियां निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता से संपन्न की जाएंगी। उन्होंने ने जिले में मतदाताओं, एसआईआर कार्यक्रम, मतदान केन्द्रों, बीएलए नियुक्ति, प्रथम व द्वितीय अपील, ईआरओ की ओर से नोटिस जारी करना व आवश्यक दस्तावेज सहित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी।

7 फरवरी तक चलेगा एसआईआर

पुरोहित ने एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का कार्य होगा। इसके बाद 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2025 तक इनुमेरेशन पीरियड रहेगा और 9 दिसम्बर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसम्बर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जा सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक नोटिस फेज चलेगा, जिसमें इनुमेरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की ओर से दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में 3 फरवरी तक मतदाता सूचियों की स्पष्टता की जांच तथा अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति ली जाएगी और 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में 14 लाख 15 हजार 73 मतदाता

कलक्टर ने बताया कि नागौर जिले में वर्तमान में 14 लाख 15 हजार 73 मतदाता हैं, जिनमें से 7 लाख 29 हजार 71 पुरुष मतदाता, 6 लाख 85 हजार 997 महिला मतदाता एवं 5 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाशित प्रारूप के अनुसार जिले के जायल विधानसभा क्षेत्र में 1,39,606 पुरुष व 1,32,270 महिला मतदाता सहित कुल 2,71,876 मतदाता, नागौर विधानसभा क्षेत्र में 1,45,795 पुरुष, 1,37,151 महिला व 4 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 2,82,950 मतदाता, खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 1,52,082 पुरुष, 1,39,965 महिला मतदाता सहित कुल 2,92,047 मतदाता, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 1,51,510 पुरुष, 1,43,179 महिला व 01 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 2,94,690 मतदाता एवं डेगाना विधानसभा क्षेत्र में 1,40,078 पुरुष, 1,33,432 महिला मतदाता सहित कुल 2,73,510 मतदाता पंजीकृत हैं।

एसआईआर में राजनीतिक दलों का हो समुचित सहयोग : पुरोहित ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम- 2025 को लेकर चर्चा की तथा दिशा-निर्देश साझा करते हुए समुचित सहयोग मांगा। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें, ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य मे सहयोग करें और पात्र नागरिकों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि बीएलओ की ओर से मतदाताओं की मैपिंग की जा रही हैं। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी चम्पालाल जीनगर सहित समस्त एआरओ व भाजपा के पदम सारस्वत, रमेश अपूर्वा व बंजरग शर्मा, कांग्रेस के मोतीलाल चन्देल व हनुमान बागंडा मौजूद रहे।

एसआईआर का उद्देश्य

- मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
- स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना।
- किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण होने पर उसे निरस्त करना।
- फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।
- शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना।

जानिए, मतदाताओं के पंजीकरण की तीन श्रेणियां

- यदि आपका जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा।
- यदि आपका जन्म एक जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए।
- यदि आपका जन्म 2 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज।

दैनिक भास्कर
डूंगरपुर भास्कर 30-10-2025

राजनीतिक दलों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी

डूंगरपुर| राजस्थान में शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि एसआईआर फेस-2 कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित 12 राज्यों में यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और गणना प्रपत्र मुद्रण, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र वितरण व संग्रहण, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची में शामिल हैं, जिन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। मतदाता अपने गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आधार ओटीपी से वेरिफाई कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे पहले प्रयास में सही जानकारी भरें, नवीनतम फोटो और मोबाइल नंबर दें तथा बीएलओ के सहयोग से सत्यापन सुनिश्चित करें। बैठक में अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को एसआईआर की जानकारी देते कलेक्टर।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिंह ने दी विस्तृत जानकारी

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसाईआर) के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया : जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम फेस 2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की सूची में : उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची में सम्मिलित है, जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के अनुसार करेंगे। उन्होंने बताया कि 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी। उन्होंने सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र : उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें। बैठक में यूपी जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, तहसीलदार निर्वाचन, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी सतीश चंद्र जैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल साद, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सदस्य अब्दुल वहिद खान, आयन उल्लाह कुरैशी, जिला सदस्य वासुदेव कटारा, निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिंह ने दी विस्तृत जानकारी

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम(एसाईआर) के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। एसआईआर की प्रक्रिया जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम फेस 2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की सूची में उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची में सम्मिलित है, जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के अनुसार करेंगे। उन्होंने बताया कि- 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे-2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी। उन्होंने सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने,सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र– उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्स डॉटईसी आईडॉटजी ओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए इँपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें। बैठक में यूपी जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, तहसीलदार निर्वाचन, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी सतीशचंद्र जैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल साद, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सदस्य अब्दुल वहिद खान, आयन उल्लाह कुरैशी, जिला सदस्य वासुदेव कटारा, निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी गण मौजूद रहें।

दैनिक नवज्योति Banswara-dungarpur - 30 Oct 2025 - Page 7

जिले के 84.5 प्रतिशत मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिंह ने दी विस्तृत जानकारी

न्यूज सर्विस/नवज्योति,डूंगरपुर

राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम(एसाईआर) के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिले के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की।

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया:

जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम फेस 2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, इसके अंतर्गत प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जावेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा व 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर सिंह ।- मयंक चौबीसा

जिले में 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की सूची में

उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 84..5 प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची में सम्मिलित है, जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्होंनें बताया कि, बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, उन्होंने बताया कि, बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के अनुसार करेंगे।

उन्होंने बताया कि 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी। उन्होंने सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें। बैठक में यूपी जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, तहसीलदार निर्वाचन, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी सतीश चंद्र जैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल साद, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सदस्य अब्दुल वहिद खान, आयन उल्लाह कुरैशी, जिला सदस्य वासुदेव कटारा, निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी गण मौजूद रहें।

एसआईआर की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश

न्यूज सर्विस/नवज्योति, वांसवाड़ा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम को लेकर निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है जो कि आगामी 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजीव द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार, उपखंड अधिकारी सोनू कुमारी सहित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। एसआईआर के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों के मुद्रण का कार्य संपन्न होगा।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य किया जाएगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण रहेगा जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकर अधिकारी द्वारा सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जाएगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में एसआईआर के अंतर्गत गतिविधियों का कैलेंडर, स्वीकृत ईएफ-पुराने और नए की तुलना, ईएफ का समय पर मुद्रण और वितरण, पीएस युक्तिकरण, मतदाताओं का मानचित्रण, बीएलओ परामर्श बीएलओ के लिए क्या करें और क्या न करें, मीडिया ब्रीफिंग और मुद्दे, ऑनलाइन सबमिशन को अधिकतम करने की रणनीति, आईटी हेल्पडेस्क, बीएलओ, बीएलए, हेल्पडेस्क स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, बीएलए नियुक्ति, ओआईसी द्वारा प्रभागवार बैठक आदि बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से चर्चा कर निर्देश दिए गए।

वोटर लिस्ट अपडेट अभियान प्रारंभ, 100 दिन तक चलेगा

भास्कर संवाददाता | बांसवाड़ा

विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) से जुड़ते हुए मतदाता सूची सुधार को प्राथमिकता में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा, यह सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि सटीक मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण है। किसी नाम का छूटना या दोहराव बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार एसआईआर की मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जाएगी। बीएलओ को क्षेत्र में घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने, सत्यापन और डिजिटल अपलोड का काम तय समय में पूरा करना होगा। ऑनलाइन सबमिशन को अधिकतम करने पर फोकस रहेगा। इसके लिए आईटी हेल्पडेस्क, बीएलए वॉलंटियर नेटवर्क और प्रशिक्षण सत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने बीएलओ परामर्श (क्या करें और क्या न करें), मीडिया ब्रीफिंग, बीएलओ/बीएलए प्रशिक्षण और नियुक्ति, ओआईसी द्वारा प्रभागवार समीक्षा बैठकें जैसे बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई। वीसी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव, एडीएम राजीव द्विवेदी, सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार और एसडीएम सोनू कुमारी सहित निर्वाचन से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश

मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, 7 फरवरी 2026 तक चलेगा अभियान

श्रीगंगानगर. प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, जो आगामी 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। इस संबंध में बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलक्टरों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

जिला कलक्टर डॉ. मंजू सहित जिले के चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू भी जुड़े और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि मतदाता सूचियों के इस विशेष पुनरीक्षण में बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने बताया कि बीएलओ और उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है, अब शीघ्र ही नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। महाजन ने यह भी कहा कि प्रत्येक बीएलओ को अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि उनके कार्य की निगरानी बीएलओ पर्यवेक्षक, इआरओ, डीइओ और सीइओ स्तर पर सुचारू रूप से हो सके।

वीसी के दौरान उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को एसआइआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। साथ ही मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, और ऑनलाइन प्रपत्र भरने को प्रोत्साहित करने के लिए जिलेवार चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और सटीकता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूचियां त्रुटिरहित और अद्यतन रूप में तैयार हो सकें।

हुक्मनामा समाचार www.hukm

Email: hukmnama@gmail.com

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

7 जिलों के नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किया

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए। बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी* झएसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें। वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां द्धह्लह्लश्चह्य://1श्ह्लद्गह्य.द्गष्द्ब.द्द श1.द्बठ्ठ/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गएश्री महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है।

चुनाव आयोग की 'राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन' सेवा शुरू

48 घंटे में होगा हर शिकायत का निपटारा

समाचार जगत ब्यूरो

नई दिल्ली. मतदाताओं की सहायता के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 'राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन' सेवा शुरू की है। मतदाता अब टॉल फ्री नंबर 1800-11-1950 पर कॉल कर अपने हर सवाल का जवाब पा सकेंगे। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने देशभर में 'राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन' के अलावा 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया है। इसका उद्देश्य हर मतदाता तक सीधे पहुंचना और चुनावी पारदर्शिता को नए स्तर तक ले जाना। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र अब सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक केंद्रीय हब की तरह काम करेगा। देश का कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर कॉल करके मतदाता सूची, ईपीआईसी कार्ड, मतदान केंद्र या किसी अन्य चुनावी सेवा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉल सेंटर में प्रशिक्षित कर्मी हर कॉल को ट्रैक करते हैं और आवश्यक फॉलो-अप सुनिश्चित करते हैं।

'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ'

नई डिजिटल पहल के तहत, नागरिक अब ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म या ईसीआईनेट ऐप के जरिए अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सीधा संवाद कर सकते हैं। इस सुविधा के ज़रिए मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सुधार या पता बदलवाने जैसी समस्याओं पर अपने बूथ अधिकारी से समय तय कर बातचीत कर सकते हैं। सभी शिकायतें और सुझाव राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के ज़रिए दर्ज किए जाते हैं और चुनाव अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर शिकायत का निपटारा 48 घंटे के भीतर किया जाए।

राज्य और जिला स्तर पर भी स्थानीय सहायता केंद्र : चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और जिलों को अपने-अपने राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) शेष पृष्ठ 4 पर

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर दिशा-निर्देश दिए

एसआइआर में राजनीतिक दलों से समुचित सहयोग का आह्वान

बहरोड़@पत्रिका. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 के संबंध में चर्चा की और विस्तृत दिशा-निर्देश साझा किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी दलों से सहयोग अपेक्षित है। बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए) एसआइआर में समुचित सहभागिता करें, ताकि मतदाता सूची समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से अद्यतन की जा सके। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलए-1 की ओर से बीएलए-2 की नियुक्ति अनिवार्य होगी। उन्होंने ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाय गया है। इस प्रक्रिया में बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर गणन प्रपत्र भरेंगे, जिसकी एक प्रति मतदाता को रसीद के रूप में दी जाएगी और दूसरी ऑनलाइन जम की जाएगी। मतदाता स्वयं भी ईसीआई पोर्टल पर प्रपत्र भर सकते हैं, जिसका सत्यापन बीएलओ करेंगे। राजनीतिक दलों से अपील की कि भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण, सभी ईआरओ एवं एइआरओ, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे

पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो शामिल

पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रतीक है मतदाता सूची का पुनरीक्षण: कलक्टर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटपूतली. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दिशा-निर्देश साझा किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें। जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्ठियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्ठियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग शुरू की गई।

बैठक में मौजूद जिला निर्वाचन अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।

बूथ लेवल अभिकर्ता की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सम्बन्धित राजनीतिक दलों के बीएलए-1 द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता व सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित भाजपा से जिला मंत्री अलवर उत्तर नीलम त्रिपाठी, जिला कार्यालय प्रभारी अशोक सुरोलिया व कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर भीमसिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बानसूर मुकेश सैनी, नारेहड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सतीश निमोरिया, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजीत यादव, विकास शेखावत व विकास यादव मौजूद रहे। (नि.सं.)

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2026 के संबंध

हमारा समाचार

कोटपूतलीबहरोड़। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 (एसआईआर) को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण –2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

BLA-2 (बूथ लेवल अभिकर्ता-2) की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के BLA-v द्वारा BLA-w की नियुक्त अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। BLA-w का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण स्तुक प्रक्रिया में BLO का सहयोग करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। राज्य में 28.10.2025 से कार्यक्रम आरंभ हो चुका है यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अतः उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मलित न हो सके ताकि मतदाता सूची सटिक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बने। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों मे आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुए भरवाया जायेगा। एक प्रति बतौर रसीद मतदाता को दी जायेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र आयोग द्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रांतियों एवं समस्याओं का समाधान किया गया।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे।

"भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचें"

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों व खबरों से ध्यान न दें तथा इस प्रकार की अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएंगी।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में बीजेपी से नीलम त्रिपाठी जिला मंत्री अलवर उत्तर, अशोक सुरेलिया एडवोकेट जिला कार्यालय प्रभारी, कांग्रेस से भीम सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर, मुकेश सैनी मंडल अध्यक्ष बानसूर, सतीश निमोरिया नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, जंतु नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजित यादव, विकास शेखावत, विकास यादव,

अन्य मौजूद रहे।

"अन्य महत्वपूर्ण बिंदु"

"7 फरवरी तक चलेगा एस आई आर"

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

"एसआईआर क्या है" - मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

"घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ" - जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा. तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा. मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम : 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए

सीमा सन्देश संवाददाता

कोटपूतली-बहरोड़। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण - 026 (रक्फ़) को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ?कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अधिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण - 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

बूथ लेवल अधिकर्ता-2 की नियुक्ति : जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के इछअ-1 द्वारा इछअ-2 की नियुक्ति अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। इछअ-2 का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण रक्फ़ प्रक्रिया में इछड का सहयोग करना है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। राज्य में 28 अक्टूबर 2025 से कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अतः उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मलित न हा सके ताकि मतदाता सूची सटिक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनें। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुए भरवाया जायेगा। एक प्रति बतौर रसीद मतदाता को दी जावेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र एउकद्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रान्तियों एंव समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहें।

भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचें :- जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों व खबरों से ध्यान न दें तथा इस प्रकार की अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा- निदेशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएंगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में बीजेपी से नीलम त्रिपाठी जिला मंत्री अलवर उत्तर, अशोक सुरोलिया एडवोकेट जिला कार्यालय प्रभारी, कांग्रेस से भीम सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर, मुकेश सैनी मंडल अध्यक्ष बानसूर, सतीश निमोरिया नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजित यादव, विकास शेखावत, विकास यादव व अन्य मौजूद रहे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :- 7 फरवरी तक चलेगा एस आई आर - जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एसआईआर क्या है - मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ - जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा। तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए

मरूधर विशेष

कोटपूतली-बहरोड़। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 (सर) को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

BLA-2 (बूथ लेवल अभिकर्ता-2) की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के

BLA-v द्वारा BLA-w की नियुक्ति अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। BLA-w का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण सर प्रक्रिया में BLO का सहयोग करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। राज्य में 28.10.2025 से कार्यक्रम आरंभ हो चुका है यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अतः उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मिलित न हो सके ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनें। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुए भरवाया जायेगा। एक प्रति पावती रसीद मतदाता को दी जायेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र भरकर द्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रान्तियों एवं समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने

कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहें।

भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों व खबरों से ध्यान न दें तथा इस प्रकार की अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएगी।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में बीजेपी से नीलम त्रिपाठी जिला मंत्री अलवर उत्तर, अशोक सुरोलिया एडवोकेट जिला कार्यालय प्रभारी, कांग्रेस से भीम सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर, मुकेश सैनी मंडल अध्यक्ष बानसूर, सतीश निर्माण्डिया नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजीत यादव, विकास शेखावत, विकास यादव, अन्य मौजूद रहे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

7 फरवरी तक चलेगा एस आई आर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज होगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एसआईआर क्या है- मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। घर-घर पहुंचेगा बीएलओ- जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा। तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : प्रियंका गोस्वामी

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

कोटपूतली। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें, ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढ़ंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्ठियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्ठियों को हटाने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदशज़, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

बूथ लेवल अभिकर्ता-2 की नियुक्तिः- जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के बीएलए-1 द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति अनिवार्यतः की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता व सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। बीएलए-2 का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित ना रहकर सम्पूर्ण विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलओ का सहयोग करना हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टुबर को कर दी गई है। राज्य में 28 अक्टुबर से कार्यक्रम आरंभ हो चुका हैं, यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम – 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए

कोटपूतली-बहरोड़, 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला

कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण — 2026 (SIR) को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण —2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

BLA-2 (बूथ लेवल अभिकर्ता-2) की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के BLA-1 द्वारा BLA-2 की नियुक्ति अनिवार्यत: की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। BLA-2 का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण SIR प्रक्रिया में BLO का सहयोग करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। राज्य में 28.10.2025 से कार्यक्रम आरंभ हो चुका है यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अत: उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मलित न हा सके ताकि मतदाता सूची सटिक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनें। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुए भरवाया जायेगा। एक प्रति बतौर रसीद मतदाता को दी जायेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र ECI द्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रान्तियों एंव समस्याओं का समाधान किया गया।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफ्लाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहें।

भ्रामक खबरों व अफ्वाहों से बचें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफ्वाहों व खबरों से ध्यान न दें तथा इस प्रकार की अफ्वाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा— निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएंगी।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में बीजेपी से नीलम त्रिपाठी जिला मंत्री अलवर उत्तर, अशोक सुरोलिया एडवोकेट जिला कार्यालय प्रभारी, कांग्रेस से भीम सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर, मुकेश सैनी मंडल अध्यक्ष बानसूर, सतीश निमोरिया नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजित यादव, विकास शेखावत, विकास यादव, अन्य मौजूद रहे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

7 फरवरी तक चलेगा एस आई आर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एसआईआर क्या है- मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ- जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा. तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा. मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा।

दैनिक भास्कर
कोटपूतली-बहरोड़ भास्कर 30-10-2025

एसआईआर में राजनीतिक दलों का हो समुचित सहयोग : निर्वाचन अधिकारी

भास्कर न्यूज | कोटपूतली

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 (SIR) के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होगी। सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं (BLA) के माध्यम से बीएलओ को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि मतदाता सूची अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके। कलक्टर ने बताया कि BLA-1 द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर BLA-2 की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। BLA-2 का कार्य केवल दावे-आपत्तियों तक सीमित न रहकर पूरी एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की सहायता करना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को देशभर में इस कार्यक्रम की घोषणा की है, जो राजस्थान में 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम प्रदेश में 23 साल बाद पुनः आयोजित हो रहा है, जिसमें वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। एसआईआर का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। एक प्रति मतदाता को रसीद के रूप में दी जाएगी जबकि दूसरी प्रति ऑनलाइन दर्ज कर चुनाव कार्यालय में जमा होगी। मतदाता चाहें तो यह फॉर्म निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर स्वयं भी ऑनलाइन भर सकते हैं।

कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और प्रपत्र मुद्रण, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे का कार्य होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचें तथा किसी भी शंका की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण, विभिन्न ईआरओ, एईआरओ तथा भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कोटपूतली। बैठक में मौजूद अधिकारी व राजनीतिक दलों के सदस्य।

एसआईआर- 2026 पर जिला कलक्ट्रेट में बैठक

जिला कलक्टर गोस्वामी ने कहा- पारदर्शिता और सहयोग से बनेगी सटीक मतदाता सूची

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कोटपूतली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) में सभी राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रत्येक दल का बूथ लेवल अभिकर्ता सक्रिय रूप से सहयोग करे। कलक्टर बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों को पूरी तरह अद्यतन करना, पात्र मतदाताओं को शामिल करना और मृत या अपात्र नामों को हटाना है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है, पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 में हुआ था। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिनकी दो प्रतियां तैयार होंगी, एक मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी चुनाव कार्यालय में जमा कराई जाएगी। बीएलओ द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलए-2 की नियुक्ति प्रत्येक मतदान केंद्र पर अनिवार्य है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी केवल दावे और आपत्तियों तक सीमित न रहे, बल्कि सम्पूर्ण एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ को सहयोग प्रदान करे। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे और इस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा व निष्पक्षता से पूरा किया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि भ्रामक सूचनाओं या अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर तत्काल निर्वाचन कार्यालय को सूचित करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ईआरओ, एईआरओ एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भाजपा की ओर से नीलम त्रिपाठी, अशोक सुरोलिया एडवोकेट, जबकि कांग्रेस की ओर से भीम सिंह गुर्जर, मुकेश सैनी, सतीश निमोरिया, जीतू नैनावत सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलक्टर ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। कलक्टर ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, लोकतंत्र को सशक्त करने का अवसर है। इसलिए हर नागरिक और हर राजनीतिक दल की भागीदारी आवश्यक है।

फीस जमा करने का अवसर कल तक : कॉलेज शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में रिक्त रही सीटों को भरने के लिए डिफॉल्टर विद्यार्थियों को एक बार फिर अवसर दिया है। यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आरके सिंह ने बताया कि यह मौका उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन तो किया था, लेकिन प्रथम या द्वितीय वरीयता सूची में नाम आने के बावजूद समय पर फीस जमा नहीं कर पाई। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। नोडल प्रभारी डॉ. सीमा पंत ने बताया कि डिफॉल्टर श्रेणी के विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर फीस जमा करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र, एबीएसटी, ईएएफएम और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषयों में ही यह प्रक्रिया शेष है, जबकि अन्य विषयों में प्रवेश कार्य पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी डिफॉल्टर विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा से पूर्व प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनका सत्र न छूटे और आगे की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

एसआईआर में राजनैतिक दलों का हो समुचित सहयोगःजिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किये

रमेश बंसल मुन्ना@जयपुर भूमि

कोटपूतली। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें, ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ?ग से संपादित की सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है।

बूथ लेवल अभिकर्ता-2 की नियुक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दलों के बीएलए-1 द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति अनिवार्यत: की जानी है। यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता व सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे समय पर बीएलए-2 की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। बीएलए-2 का कार्य केवल दावे एवं आपत्ति तक सीमित ना रहकर सम्पूर्ण विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलओ का सहयोग करना हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टुबर को कर दी गई है। राज्य में 28 अक्टुबर से कार्यक्रम आरंभ हो चुका हैं, यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। अत: उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आधार बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जाँचने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र नाम सूची में सम्मलित ना हो सके ताकि मतदाता सूची सटिक, पारदर्शी एवं विष्वसनीय बनें। इस कार्यक्रम में बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर एक पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज की जांच करते हुये भरवाया जायेगा। एक प्रति बतौर रसीद मतदाता को दी जायेगी एवं द्वितीय प्रति बीएलओ द्वारा ऑनलाईन करने के उपरांत चुनाव कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र ईएसआई द्वारा अनुमोदित पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाईन कर सकता है। जिसका सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों, भ्रान्तियों एवं समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बीएलओ द्वारा जिस मतदाता का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन गणना प्रपत्र भरकर सत्यापन किया जायेगा, उन्हीं मतदाताओं का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित किया जायेगा अथवा प्रदर्शित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित ना रहें।

भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुये कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों व खबरों से ध्यान ना दें तथा इस प्रकार की अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जायेगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त ई आर ओ एवं ए ई आर ओ और राजनैतिक दलों में भाजपा से जिला मंत्री अलवर उत्तर नीलम त्रिपाठी, जिला कार्यालय प्रभारी अशोक सुरोलिया व कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष बानसूर भीमसिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बानसूर मुकेश सैनी, नारेह?ा ब्लॉक अध्यक्ष सतीश निमोरिया, जीतू नैनावत, सुरेश कुमार मीणा, अजीत यादव, विकास शेखावत, विकास यादव समेत अन्य मौजूद रहें।

07 फरवरी तक चलेगा एसआईआर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टुबर से 07 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टुबर से 03 नवबंर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 04 नवबंर से 04 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 09 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जायेगा। 09 दिसंबर से 08 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जायेगी। 09 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जायेगा। 07 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

एसआईआर क्या हैं

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाये जायेगें, नये योग्य मतदाता जु?ेंगे। आजादी के बाद यह 09 वां अभियान हैं। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवायेंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता हैं तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा, तीनों बार नहीं मिलने पर नोटिस चस्पा किया जायेगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाईन भी भरा जा सकेगा. मृतक, स्थाई रूप से बाहर चले गये या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जायेगा।

एसआईआर को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

(यूथ की आवाज़)

चित्तौड़गढ। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा किए जाने से बाद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन की अध्यक्षता में बैठक जिला कलक्ट्रेट के समिति में आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की कार्य योजना की जानकारी देते हुए 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम को गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग की जानकारी दी गई। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की मैपिंग 85.11 प्रतिशत कर ली गई है। 2025 की मतदाता सूची में नाम है किन्तु उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नही है, वाले मतदाताओं कि उनके पिता/माता/अभिभावक के आधार पर मैपिंग 27.65 प्रतिशत कर ली गई है। कुल मतदाताओं में से 56.53 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। सतत प्रक्रिया के दौरान वर्तमान में मैपिंग का

कार्य बूथलेवल अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जिसे और बढ़ाते हुए 90 प्रतिशत के करीब तक ले जाने की जानकारी दी गई। गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तैयार मतदाता सूची में नाम देखने बाबत जानकारी देते हुए वोटर्स पोर्टल एवं वोटर्स हेल्पलाईन मोबाईल एप्प की जानकारी देते हुए गणना प्रपत्र स्वयं मतदाता द्वारा ऑनलाईन किए जाने की जानकारी दी गई। जिले में वर्तमान में 1501 मतदान केन्द्र होकर 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र जिनका पुनगर्ठन करते हुए 170 नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए गए जिनके अनुमोदन होकर प्राप्त हो गए है। गणना प्रपत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तैयार मतदाता सूची में नाम होने वाले मतदाताओं व ऐसे मतदाता जिनके माता/पिता/अभिभावक/परिजन के नाम मतदाता सूची में है तो उनसे किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाना है तथा जिन मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त किए जाने है उनकी जानकारी दी गई। उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथलेवल ऐजेन्ट (BLA) के सहयोग एवं उनके द्वारा बूथलेवल अधिकारियों (BLO) को सहयोग दिए जाने तथा उनकी तरफ से आमजन में अपील किए जाने का आग्रह किया गया।

चर्चा में समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी प्रभा गौतम सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से चन्द्र शेखर शर्मा, नन्दकिशोर लोहार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भैरूलाल चौधरी, बाबरमल मीणा, बहुजन समाज पार्टी से गंगाराम मेघवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रतन लाल शर्मा, आम आदमी पार्टी से भरत चाष्टा उपस्थित रहे।

वोटर्स हेल्पलाईन मोबाईल ऐप से मतदाता स्वयं कर सकेंगें गणना प्रपत्र ऑनलाईन

एसआईआर को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की बैठक

जननायक | चित्तौड़गढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा किए जाने से बाद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट के समिति कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की कार्य योजना की जानकारी देते हुए 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम को गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग की जानकारी दी गई। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की मैपिंग 8 5.11 प्रतिशत कर ली गई है। 2025 की मतदाता सूची में नाम है किन्तु उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नही हैं, ऐसे मतदाताओं कि उनके पिता/माता/अभिभावक के आधार पर मैपिंग 27.65 प्रतिशत कर ली गई है। कुल मतदाताओं में से 56.53 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। सतत् प्रक्रिया के दौरान वर्तमान में मैपिंग का कार्य बूथलेवल अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जिसे और बढ़ाते हुए 90 प्रतिशत के करीब तक ले जाने की जानकारी दी गई। गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तैयार मतदाता सूची में नाम देखने बाबत् जानकारी देते हुए वोटर्स पोर्टल एवं वोटर्स हेल्पलाईन मोबाईल एप्प की जानकारी देते हुए गणना प्रपत्र स्वयं मतदाता द्वारा ऑनलाईन किए जाने की जानकारी दी गई। जिले में वर्तमान में 1501 मतदान केन्द्र होकर 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र जिनका पुनगर्ठन करते हुए 170 नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए गए जिनके अनुमोदन होकर प्राप्त हो गए है। गणना प्रपत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तैयार मतदाता सूची में नाम होने वाले मतदाताओं व ऐसे मतदाता जिनके माता/पिता/अभिभावक/परिजन के नाम मतदाता सूची में है तो उनसे किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाना है तथा जिन मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त किए जाने है उनकी जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथलेवल ऐजेन्ट के सहयोग एवं उनके द्वारा बूथलेवल अधिकारियों को सहयोग दिए जाने तथा उनकी तरफ से आमजन में अपील किए जाने का आग्रह किया गया। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी प्रभा गौतम सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से चन्द्र शेखर शर्मा, नन्दकिशोर लोहार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भैरूलाल चौधरी, बाबरमल मीणा, बहुजन समाज पार्टी से गंगाराम मेघवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रतन लाल शर्मा, आम आदमी पार्टी से भरत चाष्टा उपस्थित रहे।

चित्तौड़गढ़ जिले में मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

गोपाल चतुर्वेदी / कंट्री विजन / चित्तौड़गढ़।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर (गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम) प्रक्रिया चलेगी। एसआईआर के अंतर्गत जिले के 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं का सत्यापन किया जायेगा। अभियान का उद्देश्य हर योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जिले के कुल 14,10,621 मतदाताओं में से 7,97,480 मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग पूरी हो चुकी है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी ईआरओ और जिले के मास्टर ट्रेनर की बैठक लेकर मतदाता मैपिंग प्रतिशत बढ़ा कर अधिकतम करने के निर्देश दिए। रंजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रंजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो। जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ के माध्यम से अपनी जानकारी का सत्यापन कर मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएँ। रंजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

4 नवंबर से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, 9 दिसंबर को जारी होगा मतदाता सूची का प्रारूप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जैसलमेर. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार संबंधित कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआइआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके उपरांत 4 नवम्बर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एकीकृत एप एवं वेबसाइट लांच

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ईसीआइनेट एप एवं वेबसाइट लांच की गई है। इसमें बुक ए कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की वेबसाइट से संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकेगा।

राजनीतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाएगा। बीएलए नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। उनसे अधिकाधिक सहभागिता निभाने का अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने बताया कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर विस्तृत चर्चा के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। इस दौरान सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं राजस्वसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआइआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। इससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 4 को घर–घर पहुंचेंगे बीएलओ

जैसलमेर (मरुमहिमा)। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर–घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार संबंधित कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवबंर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके उपरांत 4 नवम्बर से 4 दिसंबर तक घर–घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवंआपत्तियां ली जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर विस्तृत चर्चा के साथ आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। इस दौरान नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियां https:@@voters-eci-gov-in@ पर अपलोड कर दी गयी है। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायां गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता–पिता, दादा–दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। इससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एकीकृत एप एवं वेबसाइट लांचः भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट लांच की गई है।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चार नवंबर से अब घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

9 दिसंबर को ड्राफ्ट होगा, 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

भास्कर न्यूज | जैसलमेर

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार संबंधित कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतापसिंह ने बताया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके उपरांत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाता सूचियां वेबसाइट पर की अपलोड उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियां https://voters-eci-gov-in पर अपलोड कर दी गई है। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता पिता, दादा दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मैपिंग की जा रही है। इससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट भी लॉन्च की

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट लांच की गई है। इसमें बुक व कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की वेबसाइट से संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाएगा।